

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 339] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 16, 1982/श्रावण 25, 1904
No. 339] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 16, 1982/SRAVANA 25, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य संचालय
निर्यात व्यापार नियंत्रण
आदेश

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1982

का. भा. 571(अ)/सं. ई(सी)ओ, 1977/एएम (246) :—आयात तथा निर्यात
(नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में

और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश की निर्यात (नियंत्रण) सत्रहवां संशोधन आदेश, 1982 की संज्ञा दी जाए।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 के भाग 'ख' अनुसूची 1 में क्रम सं. 64(3) पर आई हुई प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रति-स्थापित किया जाएगा :—

“64(3) निम्नलिखित संश्लिष्ट मिश्रित धागे जिसमें 50 प्रतिशत या इससे अधिक संश्लिष्ट रेशे हैं :—

(क) पालिएस्टर-शिल्क्स मिश्रित धागा जिसमें पालिएस्टर की मात्रा 50 प्रतिशत या इससे अधिक—

- (1) 40 तक और जिसमें 40 एस काउन्ट भी शामिल है।
- (2) 41 एस या इससे अधिक और 60 एस काउन्ट तक 60 एस काउन्ट सहित।
- (3) 61 एस काउन्ट और इससे अधिक।

(ख) पालिएस्टर-सूत मिश्रित धागा जिसमें पालिएस्टर की मात्रा 50 प्रतिशत या इससे अधिक—

- (1) 40 तक और जिसमें 40 एस काउन्ट भी शामिल है।
- (4) 41 एस और अधिक 60 एस काउन्ट तक जिसमें 60 एस काउन्ट भी शामिल है।
- (3) 61 एस काउन्ट और इससे अधिक।”

[मि. सं. 2/19/82-ई.-1]

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक,
आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE
EXPORT TRADE CONTROL
ORDER

New Delhi, the 16th August, 1982

S.O. 571(E)/No. E(C) O '1977/AM(246).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18

of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Seventeenth Amendment Order, 1982.

2. In the Exports (Control) Order, 1977—in Part 'B' Schedule I, the existing entry appearing at S. No. 64(iii) shall be substituted by the following :—

“64(iii) Synthetic blended yarn containing 50 per cent or more of Synthetic fibre, the following :

(a) Polyester-viscose blended yarn in which polyester content is 50 per cent or more—

(i) Upto and including 40s count

(ii) 41s and above and upto 60s count including 60s count

(iii) 61s count and above

(b) Polyester-cotton blended yarn in which Polyester content is 50 per cent or more—

(i) Upto and including 40s count

(ii) 41s and above and upto 60s count including 60s count

(iii) 61s count and above”

[File No. 2/19/82-EI]

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of
Imports & Exports

